न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –96/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/119

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टगण
बालूराम पुत्र भगवानाराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी मकौड़ी तहसील व जिला नागौर		1. पेमाराम पुत्र श्री पदमाराम उम्र 42 वर्ष 2. मूलाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 65 वर्ष 3. लक्ष्मणराम पुत्र बालूराम उम्र 50 वर्ष जातियान जाट, निवासीगण मकौड़ी, तहसील व जिला नागौर 4. तहसीलदार नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री बाबुलाल खोजा।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री डूंगरराम, रेस्पोडेन्ट संख्या–3 की ओर से वकील श्री वैभव सैनी रेस्पोडेन्ट संख्या–4 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय दिनांक 4-10-2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा संख्या–01/2022 पेमाराम बनाम बालुराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.04.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील ताबेउज़ मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि जैर अपील आदेश/निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति में एक पक्षीय पारित किया गया है इसलिए अपीलांट को जैर अपील आदेश/निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी तथा दिनांक 16.03.2022 को मौके पर पटवारी हल्का रास्ता खुलवाने आये और पटवारी हल्का ने जैर अपील आदेश के बारे में बताया गया फिर दिनांक 17.03.2022 से 20.03.2022 तक राजकीय अवकाश होने से अपीलांट ने दिनांक 21.03.2022 को जैर अपील निर्णय की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया जिस निर्णय/आदेश की नकल अपीलांट को दिनांक 01.04.2022 को शाम को प्राप्त हुई फिर दिनांक 02.04.2022 व 03.04.2022 को राजकीय अवकाश होने से जानकारी के अन्दर मियाद अपील पेश की जा रही है। ऐसी स्थिति में देरी का कारण वाजिब है। इसलिए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी का कारण वाजिब व संतोषजनक है तथा देरी को माफ किया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदन पत्र पेश करने में हुई देरी को माफ किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री डूंगरराम चौधरी व राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकील श्री वैभव सैनी ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र के साथ स्वंय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। न्यायहित में हस्तगत अपील की मैरिट पर सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना उचित होने से प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेंट सं. 1 पेमाराम ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया कि ख.नं. 1071/427 में रास्ता है जिस रास्ते को अप्रार्थी ने अवरूद्ध कर दिया है जिस कारण से कटी

कलक्टर, नागौर

हुई फसल नहीं ला सकता फसल नष्ट हो रही है इसलिए रास्ता खुलवाया जावे जिस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नागौर ने पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गई तथा पटवारी हल्का ने मौके पर आये बिना ही प्रार्थी के बताये अनुसार अपीलांट के बाले बाले ही एक पक्षीय रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् न्यायालय में प्रार्थी के आवेदन पत्र को धारा 251 आर.टी एक्ट के तहत दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया लेकिन अपीलांट के पास न्यायालय द्वारा जारी किया गया कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई सूचना प्राप्त हुई है न ही कोई तामिल कुलिन्दा अपीलांट के पास आया लेकिन तामिल कुलिन्दा की झूठी व मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर तामिल पर्याप्त मानते हुए न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश पारित किया जिस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय निर्णय प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धांतों के खिलाफ पारित किया गया है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और न ही कोई सूचना जारी की गई तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये नोटिस पर अपीलांट है। व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं हुई और न ही विधिवत् रूप से कोई तामिल हुई है तथा बिना तामिल हुऐ (पर्याप्त) ही प्राप्त तामिल मानकर अपीलांट को न्याय से व सुनवाई से वंचित रखा गया है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट के पास कोई भी तामिल कुलिन्दा नहीं आया तथा तामिल कुलिन्दा प्रार्थी पेमाराम के प्रभाव में आकर इन्कारी की झूठी व मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा किसी भी मौतबीर के हस्ताक्षर भी नहीं है ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से अपीलांट की तामिल होना मानने में कानूनी रूप से बड़ी भारी भूल की गई है जिससे भी जैर अपील निर्णय निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थी ने अपने आवेदन में वाद सं. 20/21 (24/13)के वाद के निर्णय को आधार मानकर आवेदन पत्र पेश किया गया और उसी निर्णय को आधार मानकर तहसीलदार ने आदेश पारित किया गया जबकि वाद सं. 20/21 का निर्णय रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपीलांट के बाले बाले ही बिना कोई तामिल हुए ही एक पक्षीय निर्णय करवाया गया तथा जिस निर्णय व डिकी की अपील भी अपीलांट ने अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है जो न्यायालय में विचाराधीन है और अपील में स्थगन आदेश भी हो रखा है। ऐसी स्थिति में वाद सं. 20/21 में पारित निर्णय डिकी अंतिम निर्णय नहीं है तथा रेस्पोडेंट पेमाराम ने वाद सं. 20/21 (24/13) प्रस्तुत किया गया उस वाद में ख.नं. 1071/427 में रास्ते का कोई उल्लेख नहीं है और न्यायालय ने भी प्राथमिक डिकी में रास्ते का कोई उल्लेख नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि ख.नं. 1071/424 पर कभी भी किसी तरह का रास्ता नहीं रहा और अपीलांट को तंग व परेशान करने व हक व अधिकारों से वंचित रखने की गरज से बनावटी व झूठे तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो अपीलांट के बाले बाले ही एक पक्षीय रिपोर्ट तैयार की गई है तथा पीठ पीछे तैयार किये गये दस्तावेज का कानून की नजर में कोई महत्व नहीं रहता है तथा मौके पर किसी भी तरह का कभी भी रास्ता नहीं रहा है और न ही वर्तमान में रास्ता है तथा मौका रिपोर्ट में भी मौके पर रास्ता होना व रास्ते के किसी भी तरह अलामात होने का कोई उल्लेख नहीं है जिससे स्पष्ट है कि मौके पर कोई किसी भी तरह का रास्ता नहीं था और न ही रास्ता है उक्त रास्ता कदीमी होने का पत्रावली पर कोई साक्ष्य व सबूत नहीं है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

जैर अपील निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है। क्योंकि कदीमी रास्ता खुलवाने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त था तथा ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र पेश करने के 45 दिन बाद तहसीलदार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है लेकिन रेस्पोडेंटसं. 1 ने उक्त रास्ते के संबंध में ग्राम पंचायत के समक्ष न तो कोई आवेदन पत्र पेश ही नहीं किया गया आवेदन पत्र सीधा तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया है इसलिए धारा 251 आर.टी एक्ट के प्रावधानों के तहत तहसीलदार को प्रकरण दर्ज करने का व निर्णय पारित करने का

कलक्टर, नागौर

क्षेत्राधिकार भी प्राप्त नहीं था ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय/आदेश धारा 251 आर.टी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने से भी खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट के खेत में आने जाने का रास्ता चाहे गये स्थान पर कभी नहीं था बल्कि अन्य स्थान से रहता चला आया है चाहा गया स्थान पर रास्ता कभी रहा हो व कोई अलामात हो ऐसा पत्रावली पर कोई सबूत नहीं है। ऐसी स्थिति में भी जैर अपील निर्णय/ आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट सं. 1 के द्वारा जब तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र पैश किया गया उस आवेदन पत्र में अपीलांट बालूराम, मूलाराम व लक्ष्मणराम के द्वारा बंद करना ही नहीं बताया गया बिना आधार व बिना कोई साक्ष्य के अपीलांट के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने में भी भारी भूल की गई है और खेत ख. नं. 1071/427 जेठाराम पुत्र पदमाराम भी रेकर्डेड खातेदार था जिसको पक्षकार भी नहीं बनाया गया तथा रेकर्डेड खातेदार को बिना पक्षकार बनाये ही व बिना सूचना दिये ही जैर अपील निर्णय/आदेश पारित किया गया। जबकि प्रत्येक रेकर्डेड खातेदार आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार होता है तथा रेकर्डेड खातेदार को विधिवत् रूप से बिना सुने कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता इसलिए आवश्यक पक्षकार के अभाव में भी जैर अपील निर्णय कानूनी रूप से खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार कर जैर अपील आदेश/निर्णय अपास्त करने एवं विकल्प में जैर अपील आदेश/निर्णय निरस्त किया जाकर पत्रावली को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि पक्षकारान को विधिवत् रूप से सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर देकर पुनः निर्णय/आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

वकील श्री वैभव सैनी ने बहस में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया हे।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री डूगंरराम ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मकोड़ी खसरा संख्या 382 नया खसरा संख्या 1070/427 प्रार्थी का सह खातेदारी का खेत है, उक्त खेत में आने जाने हेतु गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 1071/427 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, को अप्रार्थी द्वारा अवरूद्ध कर देने से उक्त रास्ता खुलवाने हेतु निवेदन किया गया।

उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा संख्या–01/2022 प्रेमाराम बनाम बालुराम वगैरह अन्तर्गत धारा 251 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर पक्षकारान जिसमें हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट बालुराम, रेस्पोडेन्ट मूलाराम व लक्ष्मणराम को नोटिस जारी किये गये एवं परन्तु बावजूद तामील के अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया है। इसलिए अपीलान्ट का यह कथन की उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया पूर्णतया गलत है।

उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के निर्देशानुसार पटवारी मकौड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 08.12.2021 के अनुसार खसरा नम्बर 1071/427 रकबा 0.1618 हैक्टयर पेमाराम, जेठाराम, पुत्रगण पदमाराम, मुलाराम, बालुराम पुत्र भगवानाराम की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर के नागौर के वाद संख्या 20/21 में जारी निर्णय में रास्ते के रूप में शामलाती रखी गई है। मौके पर पुछताछ एवं जानकारी लेने पर बताया कि प्रार्थी जेठाराम को न्यायालय द्वारा सामलाती में रखे गये इस रास्ते से खेत में पड़ी फसल बाजरी, मोठ, पुला इत्यादि टेक्टर ले जाने से से श्री बालुराम व उसके पत्रों द्वारा मना किया गया एवं मौके पर प्रार्थी की फसल खेत में पड़ी है, उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर द्वारा उक्त भूमि सामलाती रास्ते के रूप में रखी हुई है तथा अपीलान्ट बालुराम, रेस्पोडेन्ट मूलाराम व लक्ष्मणराम द्वारा रास्ता बंद करना साबित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

कलक्टर,नागौर

राजपैरोकार ने वकील रेस्पोडेन्ट श्री डूंगरराम की बहस का समर्थन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मकोड़ी खसरा संख्या 382 नया खसरा संख्या 1070/427 प्रार्थी का सह खातेदारी का खेत है, उक्त खेत में आने जाने हेतु गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 1071/427 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, को अप्रार्थी द्वारा अवरूद्ध कर देने से उक्त रास्ता खुलवाने हेतु निवेदन किया गया।

उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा संख्या–01/2022 प्रेमाराम बनाम बालुराम वगैरह अन्तर्गत धारा 251 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर पक्षकारान जिसमें हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट बालुराम, रेस्पोडेन्ट मूलाराम व लक्ष्मणराम को नोटिस जारी किये गये। जिसमें तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट बालुराम द्वारा नोटिस तो ले लिया परन्तु उसके द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। मूलाराम व लक्ष्मणराम जो हस्तगत अपील में रेस्पोडेन्ट है, इनके नोटिस पर इनकी स्वंय की तामील है। परन्तु अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट मूलाराम व लक्ष्मणराम अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया है। इसलिए अपीलान्ट का यह कथन की उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के निर्देशानुसार पटवारी मकौड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 08.12.2021 के अनुसार खसरा नम्बर 1071/427 रकबा 0.1618 हैक्टयर पेमाराम, जेठाराम, पुत्रगण पदमाराम, मुलाराम, बालुराम पुत्र भगवानाराम की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर के नागौर के वाद संख्या 20/21 में जारी निर्णय में रास्ते के रूप में शामलाती रखी गई है। मौके पर पुछताछ एवं जानकारी लेने पर बताया कि प्रार्थी जेठाराम को न्यायालय द्वारा सामलाती में रखे गये इस रास्ते से खेत में पड़ी फसल बाजरी, मोठ, पुला इत्यादि टेक्टर ले जाने से श्री बालुराम व उसके पुत्रों द्वारा मना किया गया एवं मौके पर प्रार्थी की फसल खेत में पड़ी है, उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर द्वारा उक्त भूमि सामलाती रास्ते के रूप में रखी हुई है तथा अपीलान्ट बालुराम, रेस्पोडेन्ट मूलाराम व लक्ष्मणराम द्वारा रास्ता बंद करना साबित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परन्तु जहां तक वकील अपीलान्ट का कथन कि वाद संख्या 20/21 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर रखी है, जो न्यायालय में विचाराधीन है तथा और अपील में स्थगन भी हो रखा है। उक्त वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर द्वारा बालूराम बनाम जेठाराम वगैरह (...../2022) प्रकरण की आदेशिका दिनांक 11.03.2022 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत स्वीकार किया जाकर मौके की यथास्थिति अग्रिम तिथि तक बनायी रखी जाने का आदेश दिया गया है। अतः उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार को उक्त अपीलीय न्यायालय का मौके की यथास्थिति का आदेश वर्तमान में प्रभावी होने पर ऐसे आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील की पुष्टि की जाती है। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि उपर्युक्त निर्णय में वर्णितानुसार वाद संख्या 20/21 में पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में मौके की यथास्थिति का आदेश वर्तमान में प्रभावी होने पर ऐसे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर